



(154)

व अदालत श्री मान् राजस्व मण्डल ४८० प०४ ग्रामपालियर



1. इन्द्रपाल तनय श्री चन्द्रभाल सिंह  
C.R. 6.85/-  
2. सत्यभान  
3. मौजी लाल सिंह  
4. इयामलाल सिंह तनय श्री पित्रपाल सिंह

सभी निवासी ग्राम अर्जुनपुर पेकान तहो हनुमना जिला रीवा म०५०

निगरानीकरणग्रंथ

बनाम

1. वंशगोपाल तनय पारस्ताथ ब्रा०  
2. बद्री प्रसाद तनय रामकृष्णपाल मिश्र

समस्त निवासी ग्राम अर्जुनपुर तहो हनुमना जिरो रीवा ----- गैर निगरानीकरण

निगरानी किस्त आदेश ३१. १०. ९६

पुक्तरण क्रमांक 228 निगरानी ९६-९७

पारित आदेश द्वारा अपर आयुक्त रीवा

सम्माग रीवा अन्तर्गत धारा ५० म० ५

मू- राजस्व सहिता १९५९

मान्यवर,

निगरानी के आधार निम्न है:-

-----००-----

1. यह कि अधीनस्थ अदालत का आदेश विधि पुक्तिया पुथा व साक्ष्य के विपरीत होने से निरस्त किये जाने येग्य है ।
2. यह कि विवादित आराजियाते निगरानीकर्ता के भ्र- त्वामित्य व छला की जमीने है, व गैर निगरानी कर्ता अपने नाम गलत व अवैधाकि ढंग से किना पुक्तिया पालन किये हुये अपने नाम नामांतरण करा लिया था जिसमें अपील निगरानीकरण द्वारा अधीनस्थ अदालत अनुविभागीय अधिकारी तहो हनुमना मैंद दायर किया था किसे कामे नहों तो कैसे कामे ।

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश गवालियर  
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ—आ

मानला क्र0-R.1873-III/04

जिला—रीवा

इन्द्रपाल सिंह वगैरः/वंशगोपाल वगैरः

(1)	(2)	(3)
27.04.17	<p>1. प्रकरण प्रस्तुत।</p> <p>2. आवेदक तथा उनके अधिवक्ता की पुकार करायी गयी किन्तु सूचना उपरांत उपस्थित नहीं है। आवेदक द्वारा अनावेदकगण की तलवी हेतु तलवाना भी जमा किया जा रहा है।</p> <p>3. चूंकि आवेदक तथा अभिभाषक सूचना उपरांत उपस्थित नहीं है। अतः संहिता की धारा—35(2) के तहत प्रकरण अदम पैरवी में खारिज किया जाता है।</p> <p>4. आदेश की प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड वापस किया जाये, तत्पश्चात प्रकरण पंजी से समाप्त होकर दा.द. हो।</p>	 <p>सदस्य</p>